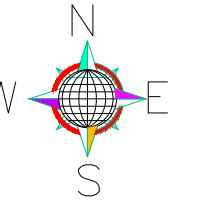


Layout Plan of Rainwater Harvesting / Recharging for SCHEME "BHUMIJA PRANGAN BLOCK-A"

IN KHASRA NO.- 62, 116/64.
AT VILLAGE :- MAHARAJPURA, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.



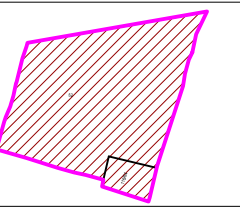
JDA APPROVED SCHEME
"BHUMIJA PRANGAN"

LEGEND

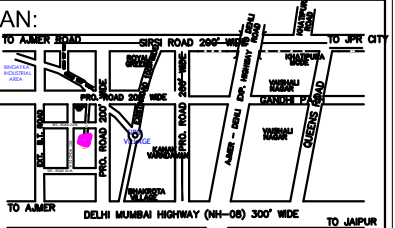
SYMBOLS	RELATION TO
	MANHOLE 450x450x450
	MANHOLE 450x450x600
	MANHOLE 450x450x900
	150mm uPVC PIPE
	200mm uPVC PIPE
	Rainwater Harvesting Line Slope
	Rainwater Harvesting Collection Pit

J.D.A

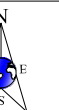
KHASRA MAP



APPROACH PLAN:



DIRECTION



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
1 कुल आवासीय भूखण्ड = 57
2 खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड = S-13

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	8204.14	57.41 %
2	RETAIL	78.00	0.54 %
TOTAL = (1+2)		8282.14	57.95 %
3	PARK	714.57	05.00 %
4	S.W.M.	50.04	0.35 %
5	MOBILE TOWER	20.05	0.14 %
6	PU (TOILET)	10.02	0.07 %
7	ZDP ROAD	3261.07	22.82 %
8	ROAD	1953.11	13.67 %
TOTAL = (3 TO 8)		6008.86	42.05 %
SCHEME AREA		14291.00	100.00 %
		01.4291 HECT.	

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही पूर्व में भूमि का प्रमाणिकरण करे द्वारा किया गया।
योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम उपायुक्ता जोन-
बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
SCHEME NAME: "BHUMIJA PRANGAN BLOCK-A"
IN KHASRA NO.- 62, 116/64.
AT VILLAGE :- MAHARAJPURA, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.

ZONE NO. = 12

SCALE 1:500

A.T.P.	A.A.T.P.	S.T.P.
--------	----------	--------

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12

नोट

- कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 05.05.2022 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 19 कुल भूखण्ड 04 कुल क्षेत्रफल 1053.96 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 317 वीं बैठक दिनांक 13.05.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत सू-1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
- नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 31.03.2022 के अनुसार समस्त चौड़ाई की सड़कों पर 90.00 व.मी. तक के भूखण्डों का अग्र सैटबैक अनिवार्य नहीं होगा।

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

KGR ENGINEERS AND APPRAISERS
PROP. ER. RAHUL KUMAR
CHARTERED ENGINEER
P. No. +91 8955829798

